भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 246

05 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रेबीज के कारण होने वाली मौतें

246. श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री दिग्विजय सिंहः
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दुनिया भर में रेबीज से सबसे अधिक मौतें भारत में होती है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति के कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस मामले में सुधार करने और इसकी रोकथाम करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या सरकार का उन रिपोर्टों को जानकारी है जो यह बताती हैं कि गैर-सरकारी निकाय जानबूझकर आवारा जानवरों की नसबंदी की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में शहर और जिला-स्तरीय प्रशासन की भूमिका को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग): जी हाँ, डबल्यूएचओ-एसोसिएशन फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया (एपीसीआरआई) के अध्ययन (2004) के अनुसार दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों (59000 मौतों) का महत्वपूर्ण हिस्सा यानी 20000 मौतें भारत से है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) शुरू किया है। रेबीज को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक भारत से कुत्ते के माध्यम से होने वाले रेबीज उन्मूलन (एनएपीआरई) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीतियों में जानवरों के काटने के उचित प्रबंधन, रेबीज की रोकथाम और

नियंत्रण, निगरानी और अंतरक्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण आयोजित करना, जानवरों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की निगरानी को मजबूत करना, 'राष्ट्रीय नि:शुल्क दवा पहल' के तहत जानवरों के काटने से पीड़ितों के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन की खरीद का प्रावधान, आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना शामिल है।

(घ) से (ङ): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुसार गैर सरकारी संगठनों द्वारा नसबंदी कार्यक्रम को नुकसान पहुँचाने की कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है। तथापि, जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, एक वैधानिक निकाय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडबल्यूबीआई), ऐसी शिकायतों का सत्यापन करता है और पशु जन्म नियंत्रण नियम (एबीसी नियम) के तहत आवश्यक कार्रवाई करता है।

(च): एबीसी नियमों के अनुसार, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रत्येक एबीसी केंद्र के लिए परियोजना की मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है ताकि एबीसी कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन स्थानीय निकायों स्वयं या किसी पशु कल्याण संगठन, जिसके पास अपेक्षित प्रशिक्षण, विशेषज्ञता और मानव संसाधन द्वारा की सेवाएं लेकर किया जा सके। अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक रूप से पारदर्शी बनाने के लिए, एडब्ल्यूबीआई ने गैर सरकारी संगठनों सहित पशु कल्याण संगठन को एबीसी परियोजना के लिए मान्यता देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

उक्त नियमों के अनुसार, सड़क पर रहने वाले जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने, रेबीज के उन्मूलन और मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति और स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है। आवारा पशुओं की आबादी पर नियंत्रण उन स्थानीय निकायों के लिए अधिदेश है, जो कार्यक्रम को पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड नियमों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सलाह जारी कर रहा है। एबीसी कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

*****